२०रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

१०रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

37

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील – 3283 – I 76

श्री ओ. पी. शर्मा प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण /2016 (जिला– छिंदवाड़ा)

द्वारा आज दि. 23-9-16 को

प्रस्तुत

विरूद्ध

हीरालाल वल्द स्व. अकरू बेलवंशी जाति कतिया
निवासी घोरावाड़ी तहसील चौरई
जिला छिंदवाड़ा ---- अपीलार्थी

52
23-9-16

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, छिंदवाड़ा म0प्र0 ---- प्रत्यर्थी

O.P. Sharma Adv
23.9.16

अपील अंतर्गत 35(4) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 238/बी–121/15–16. में पारित आदेश दिनांक 15–9–16 से व्यथित होकर

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–16 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

संक्षेप में प्रकरण का सार

यहकि, अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम घोरावाड़ी प.ह. नं. 27 रा.नि.मं. चौरई तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 421/29 रकबा 2.023 का विकय केता आशीष पिता मदनलाल को पंजीयत विकयपत्र दिनां 5–8–2013 द्वारा किया गया । उक्त विकयपत्र के आधार पर केता द्वारा नामांतरण हेतु कार्यवाही किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा केता आशीष अग्रवाल के नाम नामांतरण किये जाने में अनापत्ति जताई । अपीलार्थी की बिना जानकारी के प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार, चौरई द्वारा अपीलार्थी की भूमि को शासकीय पट्टे की मान्यकर सक्षम अधिकारी की अनुमति ना होना लेख कर पट्टे की शर्तो का उल्लंघन होना मानते हुए भूमि शासन हित में घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर छिंदवाड़ा को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने पट्टा निरस्त कर भूमि शासन हित में घोषित किए जाने हेतु प्रकरण कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भेजा । अनुविभागीय अधिकारी के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 3283-एक/16 | जिला - छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 238/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-16 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । इसी प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण अपील 3278-एक/16 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3-10-16 को आदेश पारित किया जाकर विद्वान आयुक्त के आदेश दिनांक 15-9-16 के साथ-साथ कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा मूल प्र0क0 51/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-5-2015 को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई है । चूंकि इस प्रकरण के तथ्य भी प्रकरण क्रमांक अपील 3278-एक/16 के समान हैं । अतः उक्त आदेश इस प्रकरण में भी लागू होगा । परिणामतः यह अपील भी स्वीकार की जाती है और इस प्रकरण में भी आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । 3/ उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	